

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1291/15

संस्थित दिनांक-17.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. रवि पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र 36 साल
 2. करु पुत्र धीरसिंह गुर्जर उम्र 21 साल
 3. सोनू पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र 26 साल
- निवासीगण ग्राम लोहरीपुरा थाना एण्डोरी

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 08.12.16 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.06.15 को 20 बजे ग्राम लोहरी का पुरा फरियादी उत्तम का खेत एण्डोरी जिला भिण्ड पर उत्तमसिंह की कुल्हाड़ी से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी उत्तमसिंह कुशवाह अपने खेत पर काम कर रहा था। आरोपीगण आए और बोले कि जगह हमारी है तो फरियादी ने कहा कि वह जन्म से ही खेती कर रहा है इस बात पर अभियुक्त करु ने लाठी पीठ में मारी और गाली देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त रवि ने कुल्हाड़ी बाएं हाथ में मारी जिससे खून निकल आया, सोनू ने धक्का दिया और करु ने लाठी पीठ में मारी। भरत कुशवाह एवं प्रेमसिंह ने बीच बचाव किया। जाते समय अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-81/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए,

अभियुक्तगण को गिरा कर गिरा पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 30.06.15 को 20 बजे आहत उत्तम को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान फरियादी उत्तम का खेत एण्डोरी में अभियुक्तगण ने आहत उत्तम को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में उत्तमसिंह अ०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थिति की पुनरावृत्ति के निराकरण हेतु एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

8. फरियादी उत्तमसिंह अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना एक साल पहले बरसात के समय की है। सुबह करीब 8 बजे वे अपने खेतों में सब्जी की गुढाई हंसिया खुरपी से कर रहे थे। आरोपीगण आए और कहने लगे कि यहां क्यों सब्जी लगाते हो तो उनसे आरोपी का मुंहवाद हो गया था, लातघूंसे से मारपीट कर दी थी और जब वह बचने के लिए भागा तो हंसिया पर गिर पड़ा जिससे हाथ में चोट आई। उसने गांव में जाकर भारत कुशवाह एवं प्रेमसिंह को मुंहवाद की बात बताई थी। साक्षी रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं, नक्शामौका प्र०पी० 2 पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। फरियादी उत्तम अ०सा० 1 अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा किसी हथियार से मारपीट या उपहति कारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से स्वयं फरियादी द्वारा उसे गिरने से चोट आना बताए जाने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

9. प्रकरण में फरियादी सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इंकार करता है कि अभियुक्त रवि ने उसे कुल्हाड़ी मारी थी जो बाएं हाथ में लगी थी। साक्षी रिपोर्ट प्र०पी० 1 में बी से बी भाग पर

अभियुक्तगण द्वारा लाठी व कुल्हाड़ी से उपहति कारित किए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस कथन प्र०पी० 3 में ए से ए भाग पर हथियारों से मारपीट किए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है। प्र०पी० 1 के अनुसार घटना के साक्षी भारत एवं प्रेमसिंह को घटना के बाद गांव में मिलने का कथन फरियादी करता है। ऐसे में वे अभियोजन साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी थे इस संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। यह सुस्थापित विधि है कि रिपोर्ट तथा पूर्ववर्ती कथन सारवान साक्ष्य नहीं हैं। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। इस प्रकार से फरियादी उत्तम अ०सा० 1 द्वारा रिपोर्ट प्र०पी० 1 तथा कथन प्र०पी० 3 में विनिर्दिष्ट तथ्यों के संबंध में सारवान विरोधाभास व लोप दर्शित किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हैं इस कारण से उसने थाने पर लिखे गए दस्तावेजों में क्या लिखा था, नहीं पढ़ा और न ही उसे पढ़कर सुनाए गए।

10. फरियादी को आई चोट यदि प्रमाणित भी मान ली जावे तो स्वयं फरियादी उसे भागते समय हंसिया पर गिर जाने से चोट आना बताते हैं न कि किसी अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा कारित किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। संहिता की धारा 324 के अधीन उपहति अभियुक्त या अभियुक्तगण द्वारा किसी असन, भेदन, या काटने वाले उपकरण जिसे आक्रामक आयुध के तौर पर प्रयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ या विष या संक्षारणीय पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या ऐसे पदार्थ जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक हो अथवा किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है तो ही उक्त आरोप प्रमाणित हो सकता है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में अवश्य कथन किया गया है किन्तु उक्त मारपीट उपरोक्त में से किसी रीति से की गयी हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उन्हें उक्त आरोप धारा 324/34 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा कुल्हाडी एवं लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश